



**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**सिटिंग नोटिस**

फा. सं. NCST/SER-1030/MP/260/2023-RO-BH

दिनांक: 14.07.2026

कलेक्टर एवं जिलाधिकारी,  
जिला-छतरपुर,  
कार्यालय जिला कलेक्टर,  
सागर रोड, आकाशवाणी चौक और नगर पालिका के पास,  
शांति नगर, छतरपुर, मध्य प्रदेश 471001  
ई-मेल: dmchhatarpur@nic.in

विषय: आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने के सम्बंध में श्री अंशुल गोंड आदिवासी, ग्राम परशनिया लवकुश नगर, तहसील-चंदला, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश से प्राप्त दिनांक 10.08.2023 का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 13.07.2026 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लेखित प्रकरण का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, 6वां तल, न्यायालय कक्ष-1, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003 में दिनांक 22.07.2026 को सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि पर उक्त प्रकरण से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय के समक्ष परीक्षण के लिए अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(पूर्णन्दु कान्त/Purnendu Kant)  
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अंशुल गोंड आदिवासी,  
ग्राम परशनिया लवकुश नगर,  
तहसील-चंदला, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश  
कृपया उपरोक्त स्थान, समय एवं तिथि पर सुनवाई हेतु  
आयोग में आपकी/अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।